UPLL010015362020

न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सत्र विचारण संख्या 291/2020
सरकार बनाम राजेश कुशवाहा आदि
अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 व धारा 201 भा.द.सं.
थाना बार, जनपद ललितपुर।

आरोप

मैं, मोहम्मद रियाज़, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण राजेश कुशवाहा, श्रीमती राजकुमारी एवं रामनाथ झां निवासीगण ग्राम बरौदाडांग, थाना बार, जनपद ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनॉक 26.03.2020 को आप अभियुक्तगण ने समय 19.30 बजे वादी के भाई मुकेश को घर से बुलाकर उसके सिर पर पत्थर मारकर व कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के भाई की हत्या करके उसके शव को शहजाद बांध के नीचे पाइप के अन्दर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से फेंक दिया गया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भा.द.सं. की धारा 201 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–29.01.2021

(मोहम्मद रियाज़)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–29.01.2021

(मोहम्मद रियाज़)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

<u>न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।</u>

सत्र विचारण संख्या 291/2020
सरकार बनाम राजेश कुशवाहा आदि
अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 व धारा 201 भा.द.सं.
थाना बार, जनपद ललितपुर।

दिनॉक–29.01.2021

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण राजेश कुशवाहा, श्रीमती राजकुमारी व रामनाथ झां जेरे जमानत समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के भाई के सिर पर पत्थर मारकर व कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या करके उसके शव को शहजाद बांध के नीचे पाइप में फेंक दिया गया। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 34 व 201 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण राजेश कुशवाहा, श्रीमती राजकुमारी व रामनाथ झां के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 34 व 201 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 26.02.2021 को पेश हो।

दिनॉक–29.01.2021

(मोहम्मद रियाज़)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।